


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सुवालाल कुमावत बनाम पद्मी कुमावत (कारा)

रसम मुकदमा प्री-पत्र 111-128 नं० 152 सन् 2022

क्र	हुकम या कार्यवाही मण्ड इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
9-22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.10.22 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजवर्षा कार्य से बाहर है । अवकाश पर है / पत्रविक्रम है । अतः पत्रावली दिनांक 25.11.22 को पेश हो ।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
15-11-22	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य को प्रतिकार रखने से पत्रावली दिनांक 27.12 को पेश हो ।</p>	
27/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी लं. 5 के विकट को कार्यवाही नहीं चाहते हैं, उपस्थित के सम्मन बाद शामिल होकर शपथ हुए जिसे शाप पत्र किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार कक-कक करक्षापत्रे जिलाधी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का अपेक्ष किया जाता है। वकील प्रार्थी का शाप स्वीकार किया जाकर निर्णय घुपड से लिखा जाकर शाप पत्र किया गया। पत्रावली फुल्ल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मौरवाड़ा</p>	<p>वि. नं. 5 एवं 10 के निकट मोड़ मण्डल में ही था।</p> 

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

व
र
जो
ने
ता
री

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 152/22 प्रा०पत्र

श्री सुवालाल शं० श्री मोहन कुमावत निवासी-गोविन्दपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री बन्नी शं० श्री विरम कुमावत निवासी-गोविन्दपुरा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)
(सिद्धांतिक प्रा०पत्र बालंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1341/590, 629 कुल कित्ता 02 रकबा 0.5564 हेक्टर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगड़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का प्रकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1341/590, 629 कुल कित्ता 02 रकबा 0.5564 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नरीक्षक चांदरास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मण्डल भीलवाड़ा